बिहार सरकार
पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

पत्रांक– पि०व०/02/ब० एवं आ०–17–06/2022– 86

प्रेषक,

अनिल कुमार ठाकुर, (भा०प्र०से०)
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी,
लखीसराय।

पटना, दिनांक– 26.09.2025

विषयः– **वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025–26 में नवनिर्मित अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण छात्रावास, किउल (खगौर), लखीसराय के संधारणार्थ कुल राशि रू० 16,40,000/–(रू० सोलह लाख चालीस हजार) मात्र का आवंटन।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के तहत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025–26 में नवनिर्मित अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण छात्रावास, किउल (खगौर), लखीसराय के संधारणार्थ विभिन्न मदों में यथा 13.01–कार्यालय व्यय, 13.04–विद्युत प्रभार, 21.01–सामग्री पूर्तियां एवं 28.02–संविदा सेवाएं में क्रमशः रू० 40,000/–, रू० 1,00,000/–, रू० 10,00,000/– एवं रू० 5,00,000/– अर्थात् कुल राशि रू० 16,40,000/– (रू० सोलह लाख चालीस हजार) मात्र आवंटित की जाती है।

2–कुल भारित व्यय का वहन वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025–26 में माँग संख्या–11 के अधीन आय–व्यय शीर्ष" 2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण 03– पिछड़े वर्गों का कल्याण–277–शिक्षा–0002– छात्रावासों का संधारण के तहत, विषय शीर्ष 13.01–कार्यालय व्यय, 13.04–विद्युत प्रभार, 21.01– सामग्री एवं पूर्तियाँ तथा 28.02– संविदा सेवाएँ विपत्र कोड संख्या–11-2225–03–277–0002 के अंतर्गत विकलनीय होगा।

3– इस राशि के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी, लखीसराय होंगे। निकासी की गई राशि का व्यय विवरणी एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र राशि व्यय होने के पश्चात् विभाग को भेजेंगे। संबंधित उप विकास आयुक्त इसके नियंत्री पदाधिकारी होंगे।

4– राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग के पत्रांक–2561, दिनांक–17.04.1998 तथा समय–समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत पत्रो के आलोक में किया जायेगा। राशि की निकासी उतनी ही की जाय, जिसका वास्तविक व्यय दिनांक–31.03.2026 तक हो सके एवं व्यय की संभावना नहीं रहने पर शेष राशि वित्तीय वर्ष समाप्ति के पूर्व विभाग को प्रत्यर्पित कर दिया जाय। जिस मद में राशि आवंटित की जा रही है, उसी मद में राशि का व्यय किया जाय। किसी भी स्थिति में राशि का विचलन नहीं किया जायेगा एवं बैंक में संचित नही किया जायेगा।

5–प्रस्ताव एवं प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

6– प्रस्ताव में प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

7– इसकी सूचना महालेखाकार, पटना को दी जा रही है।

8– कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दी जाय।

विश्वासभाजन
26/9/25
(अनिल कुमार ठाकुर)
सरकार के अपर सचिव।

पटना, दिनांक– 26.09.2025

ज्ञापांक– पि०व०/02/ब० एवं आ०–17–06/2022– 86

प्रतिलिपि–(1) महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(2) वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

P.T.O

Scanned with OKEN Scanner

(3) संबंधित जिला के कोषागार पदाधिकारी/उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(4) उप सचिव/विशेष कार्य पदाधिकारी/उप निदेशक, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(5) प्रमंडलीय आयुक्त, मुंगेर/जिला पदाधिकारी, लखीसराय/उप विकास आयुक्त, लखीसराय/प्रमंडलीय उप निदेशक, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण, मुंगेर/उप सचिव, (बजट प्रभारी)/प्रशाखा पदाधिकारी (बजट प्रशाखा)/संबंधित सहायक प्रशाखा पदाधिकारी (बजट)/आई०टी० मैनेजर, (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु) पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

14/3/25

सरकार के अपर सचिव।

Scanned with OKEN Scanner